



प्रेस नोट थाना तिलहर

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक-10.09.2025

“थाना तिलहर पुलिस, एस.टी.एफ. व एस.ओ.जी. की संयुक्त टीम द्वारा एक अभियुक्त को कुल 02 क्विंटल 71 किलो 400 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (गांजा) के साथ किया गया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली तिलहर के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान रोकथाम जुर्म जरायम अपराध, बरामदगी अवैध शराब, शस्त्र, मादक पदार्थ एवं चोरी, लूट, डकैती, गौ तस्कर, जिला बदर व वांछित/वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 09.09.2025 को रात्रि में एस.टी.एफ. प्रभारी जनपद मेरठ से प्राप्त सूचना के आधार पर मय एस.टी.एफ. टीम, जनपदीय एस.ओ.जी. टीम व थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त चालक सुभाष सिंह पुत्र अमर सिंह नि० ग्राम लदौडी थाना नूरपुर जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश की डी.सी.एम आयसर केन्टर रजि नं. PB10EH5750 में लदे चावल की भूसी से भरे कट्टों के नीचे 09 बोरे प्लास्टिक में कुल 132 पैकेट मादक पदार्थ (अवैध गांजा) कुल बजनी करीब 02 क्विंटल 71 किलो 400 ग्राम बरामदगी के आधार पर व घटना मे प्रयुक्त एक डी.सी.एम आयसर केन्टर रजि नं. PB10EH5750 के साथ सरयू पुलिसिया के पास कस्वा व थाना तिलहर क्षेत्र से अभियुक्त सुभाष सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना तिलहर पर मु०अ०सं० 425 /2025 धारा 8/20/29/60(3) NDPS Act पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

सुभाष सिंह पुत्र अमर सिंह नि० ग्राम लदौडी थाना नूरपुर जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश उम्र करीब 32 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

मु०अ०सं० 425 /2025 धारा 8/20/29/60(3) NDPS Act थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

मु०अ०सं० 425 /2025 धारा 8/20/29/60(3) NDPS Act थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी विवरण:-

1.02 क्विंटल 71 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा

2.घटना मे प्रयुक्त एक डी.सी.एम आयसर केन्टर रजि नं. PB10EH5750

विवरण पूछताछ-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त सुभाष सिंह ने बताया कि मैं यह गांजा राहुल निवासी बृहमपुर, उडीसा नाम के व्यक्ति से लाया हूँ। यह गांजा मेरे साथी सनम मिश्रा पुत्र राजनलाल मिश्रा नि० जनपद बरेली व मेरा है। यह माल मुझे अपने साथी सनम मिश्रा के यहाँ मौहल्ला दूबे रेस्टोरेन्ट बरेली पुहँचाना था। हम लोग यह माल 1500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदकर लाते हैं और इसे आसानी से 3500 रुपये - 4000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच देते हैं हम लोग यह काम लम्बे समय से कर रहे हैं।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 श्री राकेश कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
2. नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह प्रभारी एस.ओ.जी. जनपद शाहजहाँपुर मय टीम
3. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह प्रभारी एस.टी.एफ. जनपद मेरठ मय टीम
4. उ0 नि0 प्रमोद कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
5. उ0नि0 हरकिशोर मौर्य थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 876 अनिल कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
7. का0 2576 तुषान्त चौधरी थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

